तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2016	यह दावा वादीगण छोटेलाल पुत्र कन्हैया, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी व अन्य की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश हुआ। वकील वादीगण को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 13.05.2016 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13-5-16	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट राजस्व कैम्प महूकलां पर पेश हुई। वादीगण उपस्थित है। प्रतिवादी नं० 3,4,9,10,11,12,13 उप० है। प्रतिवादी नं० 1 मय पुत्र रामसिंह व प्रतिवादी नं० 2 मय पुत्र श्यामलाल उपस्थित है। पक्षकारों को सुना गया। उपस्थित पक्षकार प्रस्तुत वादपत्र को डिक्री किए जाने पर सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2016 के अनुसार ख०नं० 217 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 233 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 234 रकबा 2 बिस्वा कुल 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम महूकलां नारायण पुत्र रामचन्द हि० $\frac{1}{3}$, बिशना पुत्र शोला हि० $\frac{1}{3}$, हट्टी व धन्ना पिता फैल्लू हि० $\frac{1}{3}$ के नाम दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इनके ख०नं० $\frac{140}{0.33}$, $\frac{141}{0.23}$, $\frac{142}{0.19}$, $\frac{143}{0.03}$, $\frac{345}{0.18}$, $\frac{336}{0.30}$, बनते है। नकल जमाबंदी सं० 2069 से 2072 खाता सं० 55 के अनुसार ख०नं० $\frac{336}{0.30}$ की खातेदारी चिरंजी, परसु, रामखिलाडी, रामचरण पि० बिशन्या हि० $\frac{11}{12}$	चिरंजीलाल नि० रामखिलाडी नि० रामचरण परसुराम छोटेलाल मूलचन्द प्रहलाद रामसिंह S/o नारायण श्यामलाल S/o जंगीलाल कन्हैया नि० रामेश्वर नि० रामप्रसाद

व हट्टी पुत्र फैली हि० $\frac{1}{6}$ के नाम दर्ज है।

नकल जमाबंदी सं० 2069 से 2072 खाता सं० 112 के अनुसार ख०नं० $\frac{140}{0.33}$, $\frac{141}{0.23}$, $\frac{142}{0.19}$, $\frac{143}{0.03}$, $\frac{345}{0.18}$ की खातेदारी परसुराम, चिरंजी, रामखिलाडी, रामचरण पि० बिशन्या हि० $\frac{2}{3}$, हट्टी पुत्र फैली हि० $\frac{1}{6}$ के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सं० 2069 से 2072 खाता सं० 54 के अनुसार ख०नं० $\frac{760}{0.42}$, $\frac{761}{0.09}$ की खातेदारी चिरंजी, परसराम, रामखिलाडी, चरण पि० बिशन्या हि० $\frac{2}{3}$, रामधन, मांगीलाल, मूलचन्द, प्रहलाद पि० हट्टी, छोटी बेवा हट्टी, सरबती, मंगली, कमला, फूलबाई पुत्रियां हट्टी हि० $\frac{1}{6}$, छोटेलाल, कमलेश, पि० कन्हैया, रामेश्वरी बेवा कन्हैया हि० $\frac{1}{6}$ हि० बराबर के नाम दर्ज है। पूर्व रेकार्ड के अनुसार भूमि ख०नं० 336, 140, 141, 142, 143, 345 ग्राम मढूकलां में कन्हैया के वारिस वादीगण का हिस्सा दर्ज होने से रह गया है जबकि वादीगण हट्टी के वारिसों के साथ पूर्वानुसार $\frac{1}{3}$ हिस्से में $\frac{1}{2}$ हिस्से के हकदार है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। पक्षकारान भी राजीनामे के अनुसार वाद को डिक्री किए जाने पर सहमत है। अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व अभिलेख के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख०नं० $\frac{336}{0.30}$ ग्राम मढूकलां में वादीगण को हिस्सा $\frac{1}{24}$ का तथा ख०नं० $\frac{140}{0.33}$, $\frac{141}{0.23}$, $\frac{142}{0.19}$, $\frac{143}{0.03}$, $\frac{345}{0.18}$ ग्राम मढूकलां में वादीगण को हिस्सा $\frac{1}{6}$ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ख०नं० $\frac{336}{0.30}$ ग्राम मढूकलां में दर्ज हट्टी पुत्र फैली का हिस्सा $\frac{1}{6}$ के स्थान पर $\frac{1}{24}$ दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 13-5-16 कैम्प भदुकेला उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी	

नम्बर व ता
अहकाम ज
हुक्म की
में जारी ह

4

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) महुकलॉ

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 32/2016

वादी की ओर से वादी छोटेलाल, कमलेश व रामेश्वर व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामधन, मांगीलाल व अन्य की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 13.5.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 336 रकबा 30 एयर ग्राम महुकलॉ में वादीगण को हिस्सा 1/24 का तथा ख0न0 140 रकबा 33 एयर, 141 रकबा 23 एयर, ख0न0 142 रकबा 19 एयर, ख0न0 143 रकबा 3 एयर, ख0न 345 रकबा 18 एयर ग्राम महुकला में वादीगण को हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ख0न 336 रकबा 30 एयर ग्राम महुकला मे दर्ज हट्टी पुत्र फैलू का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/24 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 13.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

उनवान

1. छोटेलाल पुत्र कन्हैया, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
2. कमलेश पुत्र कन्हैया, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
3. रामेश्वर पत्नी कन्हैया, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
2. मॉगीलाल पुत्र हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
3. मूलचंद पुत्र हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
4. प्रहलाद पुत्र हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
5. सरवती पुत्री हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
6. मंगली पुत्री हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
7. कमला पुत्री हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
8. फूलवाई पुत्री हटटी, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
9. चिरंजी पुत्र विशन्या, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
10. परसुराम पुत्र विशन्या, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
11. रामखिलाडी पुत्र विशन्या, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
12. रामचरण पुत्र विशन्या, माली निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
13. लेंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——प्रतिवादी

दावा घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

13-5-16
उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी
कैम्प महुकलां

प्रपत्र-4 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) महूकलां
कैम्प कोर्ट का स्थान :— महूकलां

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 13-05-2016

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी कैम्प महूकलां

छोटेलाल वगैरा बनाम रामधन वगैरा

प्रकरण संख्या – 32/2016 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री छोटेलाल, कमलेश, रामेश्वरी आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है, कि उक्त उनवान का प्रकरण ... अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

ख०नं० 336/0.30 ग्राम महूकलां में वादीगण छोटेलाल, कमलेश, रामेश्वरी को 3/4 हिस्से ... घोषित किया जावे व जमाबंदी में दर्ज हट्टी का हिस्सा 1/6 के स्थान पर ... किया जावे तथा ख०नं० 1.40/0.33, 1.41/0.23, 1.42/0.19, 1.43/0.03, 345/0.18 ग्राम महूकलां में ... को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। इसी अनुसार रिकार्ड में दुरुस्ती ... जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. छोटेलाल
2. कमलेश शर्मा
3.
4. नि० रामेश्वरी

प्रतिवादी पक्ष 1. नि० रामधन
2. रामसिंह ... रामसिंह
3. श्यामलाल ... नि० रमेश
4. परसुराम
नि० रामधन

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय महूकलाँ (स०मा०)

(वादी पक्ष) नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर मूलचन्द

(प्रतिवादी पक्ष) नाम मूलचन्द

प्रार्थी/वादी .... एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी ....
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... किया गया। अतः राजीनामा हसबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

सतीशकुमार शर्मा
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

( )
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी